FORM No. III

APP-A
Crim-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत 342005 अधिकारी मुकाम कोटा

जसविंदर सिंह बनाम विनिता नागपाल

किस्म मुकदमा रा.मा. किराया नियंत्रण अधिकारी नं. 03 सन् 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
18/9/25	पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली मे इस न्यायालय द्वारा दिनांक 08.08.2025 को एक अंतरिम आदेश पारित किया गया था। उक्त अंतरिम आदेश के विरूद्ध प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 द्वारा रिव्यु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसका विवरण निम्न प्रकार हैः– अप्रार्थी क्रम–2 के डी ई एल द्वारा रिव्यु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थी के द्वारा एक प्रार्थना पत्र धारा– 23(1) राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम–2001 के अन्तर्गत पेश किया गया था,जिसमें प्रार्थी के प्रार्थना पत्र की प्रार्थना में जो अनुतोष चाहा गया है अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि .. अप्रार्थी कम–1 को पाबंद किया जावे, तक है । अप्रार्थी कम–2 की तलबी होते ही अप्रार्थी कम–2 ने वाद का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय का न होने का रेसज्यूडिकेटा का सिद्धांत लागू होने का एक प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया था, जो कि जवाब की स्टेज पर विचाराधीन है। प्रार्थी के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अरली हियरिंग की सुनवाई के लिये लगाया गया था। माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक– 8–8–25 को अप्रारथी कम–2 को सुने बिना तथा अप्रार्थी कम–2 के प्रार्थना पत्र को सुने बिना उक्त अंतरिम आदेश पारित किया है, जो कानूनन पोषणीय नहीं है । बिना ज्यूरिडिक्शन निर्धारित हुए अप्रार्थी की प्रार्थना मीटर लगाने की नहीं थी उसके बियोण्ड जाकर माननीय न्यायालय के द्वारा आदेश पारित किया गया है। आदेश में मीटर का किराया कौन देगा यह भी निश्चित नहीं किया गया है क्योंकि प्रार्थी एवं अप्रार्थी कम–1 के बीच मीटर का किराया अदा न करने का विवाद उत्पन्न हुआ है क्योंकि प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में मीटर की रीडिंग अर्थात यूनिट विवाद का बिन्दू का विषय बनाया है । जो न्यायालय के आदेश में इसका कही निर्णय नहीं किया गया है । न्यायालय के आदेश दिनाक– 8–8–25 से कई विवादित बिन्दू उत्पन्न होने की सम्भावना है कि मीटर किसके नाम से लगाया जावेगा उसका किराये का भुंगतान कौन वहन करेगा जो एक गम्भीर विषय है। मूल पत्रावली में आगामी तारीख 12–8–25 नियत थी, जिसमें प्रार्थी द्वारा अरली हियरिंग का प्रार्थना पत्र पेश किया गया था, जिसको निर्णित किये बिना अंतरिम आदेश दिनांक– 8–8–25 कानून पोषणीय नहीं है, क्योंकि अरली हियरिंग के प्रार्थना पत्र निर्णित होने के पश्चात ही कोई आदेश पारित किया जा सकता था। सर्वप्रथम उक्त पत्रावली में क्षेत्राधिकार का बिन्दु निर्णित होने के पश्चात ही आगे की कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी कम–2 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर दिनांक 8–8–25 के आदेश को रिव्यू कर खारिज किये जाने का आदेश प्रदान करें।	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ★ कोटा ★

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा रिव्यु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष धारा 23 (1) राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम 2001 संशोधित अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत बउनवान प्रकरण जसविन्दर सिंह सेठी बनाम विनिता नागल आदि अर्जी प्रस्तुत की गई है, जिसमें आगामी तारीख पेशी 26–08–2025 नियत है। दिनांक 11–08–2025 को अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा जरिये अधिवक्ता श्री गोविन्द नामदेव प्रार्थिया को नोटिस प्रेषित किया गया है, जिसके साथ दिनांक 08–08–2025 के माननीय न्यायालय के आदेश की फोटोप्रति संलग्न कर प्रेषित की गई है, जो नोटिस प्रार्थिया को दिनांक 13–08–2025 को प्राप्त हुआ है। उक्त नोटिस के साथ संलग्न आदेश से प्रार्थिया को माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 08–08–2025 को एक पक्षीय रूप से प्रार्थिया के विरूद्ध आदेश पारित करने की जानकारी हुई है। दिनांक 08–08–2025 को पारित आदेश से सम्बन्धित प्रार्थना पत्र प्रार्थिया को तामील नहीं हुआ है तथा माननीय न्यायालय द्वारा मूल प्रकरण में दिनांक 04–08–2025 की तारीख पेशी हेतु जारी अदिनांकित नोटिस पर प्रार्थिया द्वारा जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थिति दी गई है, जिसमे दिनांक 04–08–2025 को माननीय न्यायालय द्वारा तारीख पेशी 12–08–2025 नियत की गई थी, परंतु नियत तारीख पेशी दिनांक 12–08–2025 से पूर्व ही दिनांक 08–08–2025 को प्रर्थिया को सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित किया गया एक पक्षीय आदेश Error appearant on the face of record कीं श्रेणी में आता है, इसलिए माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 08–08–2025 रिव्यू किये जाने योग्य है। माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 08–08–2025 के आदेश में ही यह अंकित किया गया है कि प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी न० 2 अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष अप्रार्थी न 1 के मकान में स्थित किरायेदारी परिसर में दी गई विद्युत सुविधा में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करने तथा शांतिपूर्ण नल, बिजली की सुविधा का उपयोग–उपभोग करने में किसी प्रकार की रूकावट नहीं डालने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, परन्तु अप्रार्थी न० 2 ने विधि विरूद्ध तरीके से विद्युत सुविधा विच्छेद कर दी है तथा इस भीषण मौसम में प्रार्थी एवं उसके परिवारजनों का किरायेदारी परिसर का उपयोग–उपभोग करना मुश्किल हों गया है। प्रार्थिया के पक्ष में माननीय न्यायालय किराया अधिकरण, कोटा द्वारा दिनांक 13–06–2025 को प्रार्थना पत्र में वर्णत किरायेदारी वाले परिसर मकान नम्बर 27/28, सरस्वती कॉलोनी, गली नम्बर 10, वार्ड नम्बर 9, बारा रोड़ कोटा में शांतिपूर्ण उपयोग एवं उपभोग करने एवं कोई अशांति कारित नहीं करने का आदेश पारित किया गया है। अतः निवेदन है कि प्रार्थिया के किरायेदारी वाले परिसर में बिजली कनेक्शन करने हेतु अप्रार्थी न० 2 को आदेश प्रदान करने की कृपा करे। इससे स्पष्ट है कि अप्राथी क्रम 1 जसविन्दर सिह द्वारा प्रार्थिया विनीता नागल के विरूद्ध माननीय न्यायालय से कोई अनूतोष नही चाहा गया था। इसके बावजूद भी माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 08–08–2025 को प्रार्थिया के विरूद्ध आदेश पारित किया जाना Error appearant on the face ofrecord है, इसलिए माननीय न्यायालय का आदेश दिनांक 08–08–2025 रिव्यू किये जाने योग्य है। माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 08–08–2025 में ही यह अंकित किया गया है कि अप्रार्थी न० 2 की ओर से प्रार्थना पत्र वाद का श्रवणाधिकारी एवं क्षेत्राधिकार न होने से खारिज करने बाबत पेश कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थिया का

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए

एक मुकदमा रेन्ट कन्टोल अधिकरण में चल रहा है जिससे रेस–ज्यूडिकेटा का सिद्धांत लागू होता है। अतः अप्रार्थी न0 2 का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे। आप्राथी क्रम 2 द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार को चुनौती देते हुए प्रार्थना पत्र प्रस्तृत किया गया था। ऐसी स्थिति में उक्त अप्रार्थी क्रम 2 द्वारा प्रस्तृत प्रार्थना पत्र से माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार का निस्तारण किये बिना अंतरिम आदेश पारित नहीं किया जा सकता था। इसके अतिरिक्त भी माननीय न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर कोई विवेचन किये बिना पत्रावली में अन्तरिम आदेश पारित कर तारीख पेशी 12–08–2025, जो मूल प्रकरण की तारीख पेशी थी, नियत की गई। माननीय न्यायालय द्वारा अप्रार्थी क्रम 2 के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार के संबंध में आपत्ति बाबत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का निस्तारंण किये बिना अंतरिम आदेश पारित किया जाना विधिक त्रुटि है तथा माननीय न्यायालय का आदेश रिव्यू किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना है कि माननीय न्यायालय द्वारा बउनवान प्रकरण जसविन्दर सिंह सेठी बनाम विनिता नागल आदि में दिनांक 08–08–2025 को पारित आदेश का रिव्यू किया जाकर माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश रिकॉल कर उभय पक्षों को प्रार्थना पत्र पर जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान कर गुणावगुण पर आदेश पारित करने का आदेश प्रदान फरमावे।

पत्रावली के अवलोकन से प्रमाणित होता है कि अप्रार्थी क्रम 2 द्वारा एक प्रार्थना पत्र वाद का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार ना होने से खारिज करने बाबत प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अप्रार्थी नं0 2 निम्न निवेदन करता है। उपरोक्त प्रकरण में आज दिनांक पेशी नियत है। प्रार्थी का विवाद मीटर रिडीग की युनिट का है तो assessment का श्रवणाधीकार व क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को नहीं है। यूनिट assessment का अधिकार CEI की परिधि में आता है तथा एक प्रकरण rent control अधिकरण में चल रहा है जिससे Ressudicate का सिद्धान्त लागू होता है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर मान0 न्यायालय को उक्त वाद सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी क्रम 2 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद का क्षेत्राधिकार ना होने से प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का आदेश प्रदान करें।

बहस उभयपक्ष सुनी गई है।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी द्वारा मकान मालिक को बिजली के बिल का भुगतान कर दिया गया है। लेकिन मकान मालिक द्वारा बिजली का बिल जमा नही करवाया गया है। तथा केईडीएल के साथ मिलकर बिजली का कनेक्शन कटवा दिया गया है। बिजली के बिल मे बिल जमा कराने की अंतिम तिथि 14.08.2025 अंकित थी। लेकिन 05.08.2025 को ही कनेक्शन काट दिया गया। जल्दी सुनवाई के प्रार्थना पत्र के साथ बिजली के कनेक्शन को रिस्टोर कराने का निवेदन किया गया था चुकि प्रकरण सुविध की सुनवाई से संबंधित है अतः इस न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। किरायेदार सीईआई के पास नही जा सकता। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी का यह भी कथन है कि मीटर का विवाद हमारे व मकान मालिक के मध्य है हमारे विवाद का केईडीएल से कोई संबंध नही है। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी का यह भी कथन है कि हस्तगत सुनवाई मे रिव्यु का कोई प्रावधान ही नही है। नोटिस की तामिल हुई है। मकान मालिक केईडीएल के माध्यम से हमे मकान से निकालना चाहता है।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी क्रम 1 का कथन है कि प्रकरण मे प्रोपर तामिल ही नही हुई है। दिनांक 07.08.2025 को 4 बजकर 37 मिनट पर कोटा हैडक्वार्टर पर डिलेवर हुआ है। मेरे घर की लाईट भी कटी हुई है। वादी द्वारा अप्रेल से अबतक किराया नही दिया गया है। तथा दिनांक 31.03.2025 तक का ही बिजली बिल का भुगतान किया गया है। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी क्रम 1 का यह भी कथन है कि आदेश हमारे उपस्थिति मे होना चाहिए था जो कि हमारी अनुपस्थिति मे किया गया है। वादी द्वारा अप्रार्थी क्रम 1 से कोई रिलिफ नही मांगा गया था। लेकिन आदेश हमारे खिलाफ ही हुआ है। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा यह भी निवेदन किया गया है कि अग्रिम सुनवाई के प्रार्थना पत्र पर निर्णय होना चाहिए था लेकिन न्यायालय द्वारा सिधे ही प्रार्थी के अंतरिम राहत के प्रार्थना पत्र पर आदेश पारित कर दिया गया जो नियमानुसार नही है अतः खारिज किये जाने योग्य है। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी क्रम 1 का यह भी निवेदन है कि सीपीसी आदेश 47 के तहत न्यायालय अपनी प्रक्रिया स्वयं तय करेगी। अतः विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा निवेदन किया गया कि रिव्यु प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अंतरिम आदेश को निरस्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी क्रम 2 द्वारा निवेदन किया गया कि पहले अग्रिम सनवाई का प्रार्थना पत्र निस्तारित होना था तथा उसके उपरांत हमारा पूर्व लंबित प्रार्थाना पत्र निस्तारित होना था, जिसमे हमारे द्वारा यह निवेदन किया गया है कि वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार मे ही नही आता। न्यायालय को सर्वप्रथम मूल प्रार्थना पत्र की प्रेयर का अवलोकन करना चाहिए। वादी के मूल प्रार्थना पत्र की प्रेयर मे कही भी इजमेंट का कोई भी जिक्र नही है। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी क्रम 2 द्वारा निवेदन किया गया कि यह न्यायालय केवल इजमेंट पर सुनवाई कर सकता है लेकिन वादी द्वारा मीटर रिडिंग को डिसाईड करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। इसे सुनने का अधिकार केवल सीईआई को है। विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 145 के तहत ऐसे प्रकरणों को सुनने की अधिकारिता सिविल न्यायालय को नही है। अतः न्यायालय द्वारा इस प्रकरण मे जारी किया गया अंतरिम आदेश पूर्णतया विधि विरूद्ध है। जिसे जारी करने से पूर्व क्षेत्राधिकार के विषय को निर्धारित किया जाना आवश्यक है। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी क्रम 2 द्वारा निवेदन किया गया कि अंतरिम आदेश को निरस्त करते हुये रिव्यु प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जावे। तथा सर्वप्रथम क्षेत्राधिकार के प्रश्न को निर्णित किया जावे।

हमने पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया। तथा बहस उभयपक्ष पर गम्भीरतपूर्वक मनन किया।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की प्रार्थना का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र मे इस न्यायालय से चाही गयी प्रार्थना निम्नप्रकार हैः– *" प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रत्यर्थीगण को माननीय न्यायालय मे तलब किया जाकर माह दिसम्बर 2024, जनवरी 2025, फरवरी 2025 मे उपयोग, उपभोग की गई राशी के औसत के हिसाब से विद्युत उपयोग, उपभोग चार्जेज की गणना करते हुये प्रत्यर्थीनी क्रम 1 द्वारा प्राप्त की गई अधिक राशी को आगामी उपयोग, उपभोग मे समायोजित किये जाने एवं प्रत्यर्थीनी क्रम 1 माह जुलाई 2025 का विद्युत बिल एवं आगामी माह के बिलों को नियत समयावधि मे प्रत्यर्थी क्रम 2 के यहां जमा करवाने के लिए पाबंद किये जावे एवं इसके बावजूद भी प्रत्यर्थीनी क्रम 1 उक्त विपरीत बिलों को जमा नही करवाने के कारण यदि प्रत्यर्थी क्रम 2 द्वारा विद्युत सुविधा विच्छेद कर दी*

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए

जाती है। तो प्रार्थी को अपने नाम से प्रत्यर्थी क्रम 2 से विद्युत कनेक्शन दिये जाने एवं विद्युत संबंध स्थापित करने मे हुये खर्चो को आगामी किराये की राशी मे समायोजित किय जाने एवं पानी की उपयोग, उपभोग मे किसी प्रकार की रूकावट नही डालने बाबत प्रत्यर्थीनी क्रम 1 को पांबद किया जावे।"

अप्रर्थी क्रम 2 द्वारा श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार के प्रश्न पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी का विवाद मीटर रिडींग की युनिट का है, जिसके निर्धारण का अधिकार सीईआई की परिधि मे आता है। चुकि प्रकरण रेंट कन्ट्रोल अधिकरण मे चल रहा है। अतः इस न्यायालय को उक्त प्रकरण को सुनने का अधिकार प्राप्त नही है।

पत्रावली मे संलग्न न्यायालय किराया अधिकरण कोटा के आदेश दिनांक 13.06.2025 से यह प्रमाणित होता है कि समान पक्षकारों मे मध्य वाद माननीय न्यायालय किराया अधिकरण कोटा मे जैरकार है। जिसमे माननीय न्यायालय द्वारा दोनो पक्षों को शांति उपयोग व उपभोग हेतु निर्देशित किया हुआ है।

प्रतिवादी क्रमांक 2 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 2004 CPJ 500 मे माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया है कि न्यायाधिकरण को बिल निर्धारित करने का कोई अधिकार प्राप्त नही है। तथा प्रकरण CEI को प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया है। इसी प्रकार–

1. S.C. case No. 208/A of 2004 मे दिनांक 24.12.2004 को निर्णित किया गया है जो निम्नप्रकार है:–

Consumer Protection Act, 1986- Section 15- India Electricity Act, 1910- Section 26(6) - Electricity - Bills inflated - Meter defective - Billing dispute not subject matter of COPRA, remedy lies before C.E.I. for a adjudication- Directions given.

2. S.C. Case No. 547/A of 2001- Decided on 30-09-2004

Consumer Protection Act, 1986- Section 2(1)(g) - Indina Electricity Act, 1910 - Section 26(6) - Electricity - Bill -- Highly inflated - Complaint before forum praying for rectification of said bill - Forum has no authority to assess amounts of units- Remedy lies before expert *i.e.,* Chief Electrical Inspector, consituted under Section 26(6) of Act of 1910

3. I.A. No. 352 of 1999 in Appeal No. 206 of 1999_ Decided on 02-08-1999

Consumer Protection Act, 1986- Section 12, 13, 14, 18 - Interim Order- Procedure - Electricity supply - Disconnection - Interim direction to restore the supply sought, pending disposal of appeal - Forum has no power to grant any interim relief - Only final relief could be granted - Prayer for interim direction not maintainable - Petitioner not entitled to any relief

4. S.c. Case No. 61/A of 2006 decided on 02.04.2007

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

Consumer Protection Act, 1986 - Section 2(1)(g) - Electricity Act, 2003 - - Section 50 , 181, 136, 138, 143 r/w 126, 127, and 143 - Electicity - Disconnection - Bills not paid - Alleged, O.P. Illegally demanded bill for period of burnt transformer - Complaint allowed by forum hense appeal Jurisdiction of Fora barred by provisions of Electricity Act, 2003 - Dispute not adjudicable in summary manner by Cunsumer Fora - Order Forum patently not maintaible, being bad in law, set aside - Complainant given liberty to approach " Grievance Redressal Machinery" established under law.

पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों बहस उभयपक्ष तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों के सन्दर्भ मे यह न्यायालय यह न्यायोचित पाता है कि सर्वप्रथम क्षेत्राधिकार के प्रश्न को निर्धारित किया जावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अवलोकन यह प्रमाणित होता है कि वादी की मूल प्रार्थना माह दिसम्बर 2024, जनवरी 2025, फरवरी 2025 मे उपयोग–उपभोग मे की गई राशी के ऐवरेज के हिसाब से विद्युत उपयोग–उपभोग चार्जेज की गणना करते हुये प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा प्राप्त की गई अधिक राशी को आगामी उपयोग–उपभोग मे समायोजित किया जावे।

हमारे विनम्र मत मे विद्युत बिल का समायोजन तथा औसत के आधार पर विद्युत बिल भुगतान राजस्थान किराया नियन्त्रण अधिनियम के तहत निर्धारित नही किया जा सकता। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत इस तथ्य को प्रमाणित करते है कि बिलों की राशी के संबंध मे निर्णय देने की अधिकारिता इस न्यायालय मे निहित नही है।

उक्त विवेचन के आधार पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को क्षेत्राधिकार से परे स्वीकार करते हुये अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। प्रार्थी विद्युत कनेक्शन बहाली के अपने सुखाधिकार के लिए पृथक से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है।

प्रकरण मे लम्बित रिव्यु प्रार्थना पत्र निस्तारित माने जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(गजेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा